कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

18650
20/12/16

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
जिला– खगड़िया

20 DEC 2016
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के वर्ष 2013–14 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 290 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14626/366 दिनांक– 15.12.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, खगड़िया

16/12/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

21 DEC 2016
14081

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 290/16–17
(अवधि– 2013–14 से 15–16)

भाग–I

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत के वर्ष 2013–14 से 15–16 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सामाजिक प्रकोष्ट–। बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 04.05.2016 से 10.05.2016 तक की अवधि में की गयी।

2. प्रशासन

क0सं0	नाम/पदनाम	कार्य अवधि
1	श्रीमति रंजीता कुमारी निषाद/अध्यक्ष	01.06.12 से अब तक
2	श्री संजीव कुमार सोनी/उपाध्यक्ष	01.06.12 से 01.04.14
3	श्री सनोज मिश्रा/उपाध्यक्ष	01.04.14 से अब तक
4	मो0 शाहजहां, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/कार्यपालक पदाधिकारी	01.04.11 से 07.04.11
5	श्री मणिरंजन, अवर निबंधक, गोगरी/कार्यपालक पदाधिकारी	07.04.11 से 31.03.13
6	मो0 शाहजहाँ, कार्यपालक पदाधिकारी	01.04.13 से 24.01.14
7	सुनील कुमार	25.01.14 से 03.09.15
8	पूनम कुमारी	03.09.15 से 31.03.16

3. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार चर्चा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर से (विस्तृत चर्चा) दिनांक 10.05.16 को की गयी।

4. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जाँच किये गये पंजियों की सूची प्रतिवेदन की परिशिष्ट–। (अ)में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या जो अधूरा संधारित थे, को परिशिष्ट–। (ब) में दर्शाया गया है।

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

गोगरी, नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनका अनुपालन वर्त्तमान लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं का निराकरण नहीं हो सका। नगर पंचायत के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्रवाई नही किया गया।

जवाब में बताया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन के लिये साक्ष्य सहित कार्यालय को भेजा गया है एवं शेष लंबित कंडिकाओं का साक्ष्य सहित अनुपालन भेजा जा रहा है।

6. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम 20, 64 एवं 73(क)) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि आंतरिक जांच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिन्हें प्राधिकृत किया जाए के द्वारा किया जाएगा। इस तरह जांच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रयास किया गया है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जांच के कम में पाया गया कि इस तरह की जांच व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियां घटित हुई तथा अंकेक्षण के दौरान दृष्टिगत हुई, उनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

जवाब में बताया गया कि समय–समय पर कार्यालय का आंतरिक निरीक्षण किया जाता है एवं पायी गयी कमियों को दूर किया जाता है। विभाग द्वारा समय–समय पर आंतरिक अंकेक्षण कराया जाता है।

7. अधिदृश्य

नगर पंचायत,गोगरी जमालपुर (खगड़िया) के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतशेष का विवरण निम्नलिखित है–

		2013–14	2014–15	2015–16
1	प्रारंभिक शेष	48365156	67404679	146745594
2	वर्ष की प्राप्ति	37602029	100984398	83999627
3	कुल योग	85967185	168389077	230745221
4	व्यय	18562506	21643483	67069009
5	अन्तशेष	67404679	146745594	163676212

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–II पर उपलब्ध)

8. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत विधि के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। आवेदन पंजी, अनुदान नियोजन पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही, माँग एवं वसूली पंजी इत्यादि के संधारण की आवश्यकता है। इन पंजी/अभिलेखों के संधारण नहीं किए जाने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमित्तताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं के विहित संधारण की दिशा में उचित कदम उठाए जाएँ। बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जाय तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्कों एवं करों का करारोपण किया जाय ताकि नगर पंचायत (निधि) की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके।

9.लेखापरीक्षा परिणाम

(i) लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गई राशि– 70409

(ii) अंकेक्षण के द्वारा वसूली हेतु सुझायी गई राशि– 3856728

(iii) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 15445672

(परिशिष्ट– VII)

भाग–II (क) – शून्य
भाग–II (ख)

कंडिका 1. अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि रू 70409.00

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के 'एच–रसीद एवं विविध रसीद के जांच एवं दैनिक संग्रह पंजी तथा रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहको द्वारा रु. 70409.00 की राशि प्राप्ति के पश्चात नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान रू 70409.00 नगर पंचायत निधि में जमा किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	रसीद सं.	प्राप्ति की तिथि	राशि	प्राप्तकर्त्ता का नाम	अभियुक्ति
1	1648–1659	27.01.11 से 26.03.11	2243	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा	एच रसीद
2	1757–1763	01.04.11 से 04.05.11	2856	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा	एच रसीद
3	1676–1699	02.11.15 से 04.05.16	39710	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा	विविध रसीद
4	1738–1758	05.02.15 से 15.01.16	25600	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा	विविध रसीद
		योग	70409		

एच रसीद एवं विविध रसीद से प्राप्त किया गया जमा राशि रू 70409 दिनांक 07.05.16 को यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया (खाता सं0 21034) जमालपुर गोगरी में जमा कर दिया गया।

कंडिका 2.सरकारी भवनों से मकान कर की वसूली नहीं रू 2.36 लाख

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के भवनो पर मकान कर (Holding Tax) की वसूली रू 236797.00 वर्षो से लंबित है जिसकी वसूली नगर परिषद द्वारा नही किया जा रहा है। सरकारी भवनों पर मकान कर की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

जवाब में कहा गया कि सरकारी भवनों पर बकाये राशि की वसूली हेतु बार– बार नोटिस किया गया है। पुनः वसूली हेतु नोटिस किया जा रहा है। राशि की वसूली कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाये।

कंडिका 03 दैनिक वेतन भोगी पर भुगतान (राशि 7.90 लाख)

नगर विकास विभाग ने अपने पत्र सं. 4410/न.वि.वि./दिनांक 01.08.74, 04/07–01–80/79–288 दिनांक 03.02.1981 के द्वारा सरकारी कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी के नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। परन्तु लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि अंकेक्षण 2013–14 से 15–16 की अवधि में राशि 790141.00 का भुगतान दैनिक वेतन भोगी के पारिश्रमिक पर किया गया, जो अनियमित है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

पारिश्रमिक भुगतान करने से पहले या वाद में बिहार सरकार से इस संबंध में अनुमोदन लिया गया या नहीं इसका प्रमाण संबंधित संचिका में अनुपलब्ध नही है। अतः दैनिक वेतन भोगी के पारिश्रमिक पर किया गया व्यय अनियमित था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यालय द्वारा अति आवश्यक कार्य होने के कारण दैनिक वेतन भोगी का पारिश्रमिक भुगतान किया गया है। सफाई जैसे अनिवार्य सेवा के संपादन हेतु दैनिक मजदूरों से कार्य कराया गया है।

अतः सरकार से अनुमोदन कराने तक कुल राशि रू 790141 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका सं0–4 योजनाओं के कियान्वयन पर अप्राधिकृत व्यय राशि रू 136302.00

योजना संख्या–13/2015–16

योजना का नाम–वार्ड सं. 12 में अनुमंडल पदाधिकारी के आवास स्थित गार्ड रूम का मरम्मति।

योजना का मद– चतुर्थ राज्य वित असम्बद्ध अनुदान

अभिकर्ता– श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा, कनीय अभियंता
कार्यादेश की तिथि–29.05.2015
प्राक्कलित राशि – रू 99100.00
प्रथम अग्रिम – रू 7500.00
द्वितीय अग्रिम–रू 40000.00
कुल भुगतेय राशि –रू 47500.00
मापी पुस्तिका–संलग्न नहीं
मास्टर रॉल–संलग्न नहीं
अभिश्रव– संलग्न नहीं
योजना संख्या 14/2015–16
योजना का नाम–वार्ड सं. 11 में अनुमंडल पदाधिकारी के आवास रूम का मरम्मति।
योजना का मद– चतुर्थ राज्य वित असम्बद्ध अनुदान
अभिकर्ता– श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा, कनीय अभियंता
कार्यादेश की तिथि–29.05.2015
प्राक्कलित राशि – रू 98200.00
कार्य पूर्ण की तिथि–15.07.15
प्रथम अग्रिम – रू 7500.00
द्वितीय अग्रिम–रू 40000.00
कुल भुगतेय राशि –रू 47500.00
मापी पुस्तिका–रू 91095.00
अभिश्रव– 91095.00
भुगतेय राशि–88802.00
योजना की स्थिति–पूर्ण
लेखापरीक्षा आपत्ति

1. उपर्युक्त दोनो योजना की कार्यादेश की तिथि दिनांक 29.05.15 ही थी परन्तु योजना संख्या 13/2015–16 की वर्तमान स्थिति संचिका से स्पष्ट नही था। इस योजना में अभिकर्ता को दिनांक 13.07.15 तक रू 47500.00 अग्रिम दिये जाने के पश्चात् योजना संचिका में मापी पुस्तिका अभिश्रव या मास्टर रॉल संलग्न नही था।
2. उपर्युक्त दोनो योजना अनुमंडल पदाधिकारी (लोहिया भवन) के आवास एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आवास स्थित गार्ड रूम के मरम्मति के कार्य में चतुर्थ राज्य वित असम्बद्ध अनुदान से राशि व्यय की गयी थी। जिसमें नगरीय सड़के जलापूर्ति लोक स्वास्थय एवं स्वच्छता एवं सड़का के लिए रोशनी आदि से सम्बन्धित व्यय शामिल किया जाना था जो कि जनहित कार्य से सम्बन्धित व्यय है। ऐसे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास का मरम्मति कार्य नही किया जा सकता।
3. उपर्युक्त दोनों आवास या सरकारी भवन नगर पंचायत की सम्पति नही है बल्कि अन्य विभाग की सम्पत्ति है। जिस पर व्यय किया जाना अनुचित था।

   अतः योजनाओं के कियान्वयन पर किया गया व्यय राशि रू 136302 (47500+ 88802) अनियमित था

   जवाब में बताया गया कि गोगरी नगर पंचायत में अवस्थित होने के कारण स्थानीय सशक्त समिति बैठक में पारित किया गया था।

नगर पंचायत की सम्पति नही होने के कारण उस पर किया गया व्यय अप्राधिकृत है। अतः जवाब मान्य नहीं है। क्योंकि मरम्मति किये गये आवास अन्य विभाग के थे इसलिए मार्गदर्शिका अनुरूप व्यय नही किया गया था। अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक रू 136302.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0– 5 (क) (240 लीटर) कुड़ेदान के कय में अनियमितता रू 25.15 लाख

कुड़ेदान की कय संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि Reliable Enterprises 1st floor corner building Mithapur Khagaul Road, Patna को नगर परिषद लखीसराय के आपूर्ति के आधार पर एवं उसी दर पर वर्ष 15–16 में 240 लीटर कुड़ेदान की आपूर्ति हेतु नगर पंचायत के पत्रांक–88 (मु0)

दिनांक 26.12.15 को विभिन्न शर्तो के आधार पर आपूर्ति करने हेतु एकरारनामा किया गया था तथा Reliable Enterprises Patna के द्वारा कुल 210 इकाई प्रति इकाई राशि रू 11975.00 की दर से कुल राशि रू 2514750.00 कर सहित सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद मांग विपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आलोक में एकरारनामा के शर्तो के अनुसार वैट की राशि एवं सुरक्षित जमा राशि रू 245488.00 (119750+ 125738) कटौती करते हुए कुल राशि रू 2269263.00 भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. क्रय किये गये कुड़ेदान को भंडार पंजी में संधारण नहीं किया गया था।
2. 210 कूड़ेदान को किस स्थान पर स्थापित किया गया था, इसकी सूची प्रस्तुत नहीं की गई। कुड़ेदान का इस्तेमाल कहाँ– कहाँ किया जा रहा है। स्पष्ट नहीं किया गया।
3. सफाई निरीक्षक के द्वारा कूड़ेदान की आवश्यकता एवं जरूरी हेतु कोई पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी किस आधार पर कूड़ेदान क्रय किया गया।
4. आयकर की कटौती 50295 (2514750x 2%) नहीं किया गया था।

   जवाब में बताया गया कि भण्डार पंजी में संधारण किया गया है। भण्डार पंजी में संधारण किया गया है। सूची उपलब्ध करायी गयी है। सफाई जमादार द्वारा आवश्यकता के अनुसार बोर्ड/स0 स्थायी समिति से पारित कर क्रय किया गया है। सुरक्षित जमा राशि से आयकर की कटौती कर राशि वापस की जायेगी।

   जवाब में बताया गया कि कुड़ेदान का क्रय मार्च 2016 में की गयी है। जिसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है। भण्डार पंजी में संधारण किया गया है। कर निर्धारण भवनों की संख्या लगभग 7000.00 है।

जवाब मान्य नही है क्योंकि भंडार पंजी उपलब्ध नहीं कराया था। अतः भंडार पंजी संधारण कर लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराये जाये तब तक व्यय किया गया राशि रू 2269263 अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है।

(ख) (10/20 लीटर) कुड़ेदानी का क्रय में अनियमितता रू 27.50 लाख

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुड़ेदानी के क्रय हेतु निविदा आमंत्रण किया गया था जिसके आधार पर कुल 02 निविदा प्राप्त हुआ था।

1. Arya Corp. Patna
2. S.G. construction phulwarisharif Patna
3. जिसके तुलनात्मक विवरणी के अनुसार (I) Arya Corporation Shahid Ram Govind Singh Path Jaiprakash Nagar, Patnaको रू 550 प्रति इकाई के दर से सबसे कम था जिसके आलोक में कार्यालय पत्रांक 23 मु0 दिनांक 18.03.16 को कुल 5000 यूनिट को 550 प्रति इकाई के दर से आपूर्ति करने हेतु आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुसार कुल रू 2420000.00 का भुगतान किया गया था। तथा वैट 137500 एवं सुरक्षित जमा रू 137500 एवं आयकर 55000 कटौती कर भुगतान किया गया था।

   <u>**अंकेक्षण टिप्पणी**</u>

1. कुल 5000 यूनिट प्राप्त कुड़ेदान को भण्डार पंजी में संधारण नहीं किया गया था।
2. वर्तमान समय में कुडेदान का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था। साथ ही नगर पंचायत में कर निर्धारित मकानों की सं., कूड़ेदान किस वार्ड में कितना वितरण किया गया। बताया नही गया।

   जवाब में बताया गया कि कुड़ेदान का क्रय मार्च 2016 में की गयी है। जिसके विवरण की प्रक्रिया चल रही है। भंडार पंजी में संधारित किया गया है। कर निर्धारण भवनों की संख्या 7000 है।

नगर परिषद द्वारा जवाब मान्य नही है क्योंकि भंडार पंजी उपलब्ध नही कराया था। अतः भंडार पंजी संधारण कर एवं इस्तेमाल का विवरण तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराये तब तक व्यय राशि रू 2420000.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0– 6 योजना पर किया गया व्यय में अनियमितता राशि रू 469526.00

योजना संख्या – 04/2013–14
योजना का नाम– वार्ड सं0 14 में दंडागरदा दरवाजा से सुरेन्द्र साह के मिल तक पी.सी.सी. सड़क व नाला निर्माण ।
योजना का मद– बी.आर.जी.एफ
संवेदक का नाम–मनोज कुमार
प्राक्कलित राशि– रू 544400.00
मापी पुस्तिका– संलग्न नही
शुद्ध भुगतेय राशि–रू 469526.00
कार्यादेश की तिथि–26.09.13
कार्य पूर्ण की अवधि–तीन माह
लेखापरीक्षा आपत्ति

1. कार्य के समर्थन में इस योजना संचिका में मापी पुस्तिका संलग्न नही था, जिससे कार्य की स्थिति स्पष्ट नही हो सके।
   जवाब में बताया गया कि मापी पुस्तिका दर्ज करने के लिए सहायक अभियंता के पास भेजी गयी है।
2. नगर पंचायत गोगरी के पत्रांक 174 दिनांक 03.04.14 में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संवेदक मनोज कुमार व कनीय अभियंता से मांगे गये स्पष्टीकरण में यह वर्णित है कि का0प0 द्वारा कार्य स्थल के जॉच के दौरान यह पाया गया कि प्रस्तावित स्थल दशगरदा दरवाजा जहॉ से योजना शुरू होनी थी योजना का कोई कार्य किया हुआ नही पाया गया। योजना स्थानीय निवासी श्री अरूण मंडल के घर के पास से सुरेन्द्र साह के मील तक सड़क बनाया गया।

जवाब में कहा गया कि कार्यपालक पदाधिकार के जॉच रिपोर्ट के अनुसार कार्य का कियान्वयन में अनियमित था। अतः योजना को उच्चतर अधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय तब तक किया गया व्यय राशि रू 469526.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है!

कंडिका सं0–7 स्वर्ण जयंती भाहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यकम में अनियमित भुगतान 30.00 लाख

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल परिवारों के युवक युवतियों को विभिन्न व्यवसाय मे प्राशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु न0वि0 विभाग बिहार पटना के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 के अनुसार जारी सूची से ही किसी एक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रारंम्भ करने तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जॉच कर लिया जाना था।

1. क्या इस संस्था को पूर्व में व्यावसायिक प्राशिक्षण कराने कि अनुभव है अथवा नही
2. संस्थाओं/एजेंसियों के पास कुशल प्रशिक्षक होने चाहिए जिनको संबंधित व्यवसाय में 03 वर्षो का अनुभव प्राप्त हो।
3. संस्थाओं/एजेंसियों के पास पर्याप्त रूप से क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधाए उपलब्ध होने चाहिए।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरान्त लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. संस्थाओं के पास प्राशिक्षण स्थल पर कम से कम 15 वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए।
6. प्रशिक्षण प्रतिदिन कम से कम 04 घंटे का होना चाहिए।
7. कम्प्यूटर प्रतिष्ठान में कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर होना चाहिए।
8. संस्थाओं एजेसियों को प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता होना चाहिए।
9. इसके अलावे जो भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए इच्छुक है तो संस्था द्वारा उनका आवेदन प्राप्त कर भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।

10. प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर पूर्णतः जॉच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर भुगतान करेंगे साथ उपयुक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं के साथ एकरारनामा करेंगें उपर्युक्त दिशा–निर्देश के आलोक में नगर पंचायत गोगरी जमालपुर अपने पत्रांक 207/दिनांक 17.07.12 को उप निदेशक बिहार शहरी विकास अभिकरण पटना को विभिन्न ट्रेड प्रशिक्षण हेतु कुल 828 (प्राप्त आवेदन के आधार पर) लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सूचनार्थ प्रेषित किया गया था।

प्रशिक्षण हेतु कर्पूरी सेवा सदन वैद्य भवन, कालीबाड़ी राजगीर, नालन्दा, बिहार को चयन करते हुए पत्रांक–04 मु0 दिनांक 28.09.12 को प्रशिक्षण कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। तथा दिनांक 27.09.12 को सरकार के निर्देशित शर्तो के आधार पर सभी शर्तो को मानते हुए एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार निम्न व्यवसाय के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया था।

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	लाभार्थी की सं0	लाभार्थी का प्रशिक्षण दर	भुगतान राशि	प्रस्तुत विपत्र
01	कम्प्युटर साफटवेयर	185	7000	1295000	1294090
02	फैशन डिजायनिंग	314	7000	2198000	2195650
03	फूड प्रोसेसिंग	135	7000	945000	942560
04	व्यूटिशियन	05	6000	30000	29950
			कुल	4468000	4462250

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सरकार के दिशा–निर्देश एवं चयन में विभिन्न त्रुटियॉ/कमियॉ पायी गयी। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. संस्था को पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण कराने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।
2. कुल प्रशिक्षक का चयन एवं संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु 03 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।
3. संस्था के पास पर्याप्त रूप से क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधार भूत सुविधा हेतु कोई भी प्रशिक्षण स्थान के स्वामित्व के द्वारा एकरारनामा/पर्याप्त सूचना संचिका मे संलग्न नही था एवं प्रशिक्षण स्थान कितना क्षेत्रफल में अवस्थित था जिसका कोई प्रमाण पत्र संलग्न नही था।
4. संस्था के द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त कोई भी प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मुहैया नही कराया गया था।
5. कितने प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए इच्छुक लाभार्थी को रोजगार सुनिश्चित कराया गया था, स्पष्ट नहीं था।
6. अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के पत्रांक– 06/मु0 दिनांक 12.02.13 एवं नगर पंचायत गोगरी के पत्रांक 103 दिनांक 04.03.13 के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण स्थल का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण कार्य एवं प्रशिक्षणार्थी को उपस्थित संतोषजनक नही था।
7. बी.पी.एल. सूची के अनुसार कुल–05 ब्यूटिशियन के लाभार्थीयों का नाम दर्ज नही था फिर भी प्रशिक्षण दिया गया था।

   उपर्युक्त दिशा–निर्देश का शर्तो का पालन नहीं किया गया था। जिसके कारण कर्पूरी सेवा सदन को किया गया भुगतान 3000000.00 अनियमित था।

जवाब में बताया गया कि सभी बिन्दुओं के साक्ष्य की छायाप्रति उपलब्ध करायी जायेगी एवं जांचोपरान्त राशि का भुगतान किया जायेगा।

अतः सभी बिन्दुओं का छाया प्रति लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय तब तक व्यय राशि रू 3000000.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0–08 LED Street Light के क्रय में अनियमितता राशि रू 4882978.00

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के सशक्त स्थायी समिति की दिनांक 02.09.2014 को सम्पन्न बैठक के पारित प्रस्ताव सं0–11 में 13 वीं मद में एवं दिनांक 05.05.2015 के बैठक के पारित प्रस्ताव सं0–07 में चतुर्थ राज्य वित आयोग मद में उपलब्ध राशि से शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु निविदा प्रकाशित की गयी।

पत्रांक–561 दिनांक 05.05.2016 के द्वारा शहरी क्षेत्र में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु निविदा प्रकाशित की गयी कुल 04 कम्पनियों में निविदा में भाग लिये थे।

दिनांक 04.09.15 को सशक्त समिति के समक्ष निविदा की तकनीकी बीड खोली गयी जिसका तुलनात्मक विवरणी के अनुसार सबसे कम दर 8990 कर सहित प्रति इकाई, कुमार ब्रदर्स इन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड मद्रास रोड सासाराम, रोहतास को स्वीकृत किया गया था तथा पत्रांक 871 दिनांक 26.012.15 को कूल 200 इकाई + 400इकाई–600 इकाई का एकरारनामा के बाद आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया गया था। तथा सामानों के आपूर्ति कर भुगतान का विपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

विपत्र का दिनांक	विपत्र की राशि	भुगतान की राशि	कटौती सुरक्षित जमा
02.02.16	1798000	1166452	179800
29.02.16	3626976	3264278	362698
	5424976	4882478	542498

अंकेक्षण टिप्पणी

1. LED Street Light आपूर्ति के बाद भण्डार पंजी में दर्ज नहीं किया गया था।
2. Street Light का तकनीशियन से जॉच नही कराया गया था।
3. आपूर्तिकर्ता से आयकर की कटौती राशि रू 108500 (5424976 x 2%) नही किया गया था।
4. कार्यादेशके क्रम संख्या 3 के अनुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु किसी भी तरह का किराया या अन्य राशि का भुगतान नही किया जायेगा लेकिन अभिश्रव के अनुसार कुल राशि रू 42000 (600 No. Unit @ 70/- Per unit) परिवहन चार्ज का भुगतान किया गया था।
5. अधिष्ठापित किये गये सभी लाईटो का भौतिक सत्यापन (सूची सहित) प्रतिवेदन संचिका में संलग्न नही था।
6. अभिश्रव के अनुसार कुल राशि रू 5424976 (SD-542498) सहित यानि कुल राशि रू 4882478 का भुगतान किया गया था।
   जवाब में बताया गया कि पूर्ण भुगतान नही किया गया है। पूर्ण जांच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही राशि का भुगतान किया जायेगा।

अतः अभिश्रव की जांच कर प्रतिवेदन लेखापरीक्षा कार्यालय उपलब्ध करायी जाय तब तक व्यय राशि रू 4882478 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0–09 विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं रू 21930.00

गोगरी नगर पंचायत के विभिन्न योजनाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्न योजनाओं के विलम्ब से पूरा करने पर भी नगर पंचायत द्वारा संविदा की शर्त के अनुसार संवेदकों से कुल राशि रू 21930.00 विलम्ब शुल्क नही ली गई है।

योजना सं./नाम	स्वेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	कार्य पूर्ण की वास्तविक तिथि	विलम्ब दिनों की संख्या	विलम्ब शुल्क प्रा. राशि का 10 प्रतिशत
28/2013–14 पी. सी.सड़क निर्माण	मनोज कुमार	467000	26.09.13	25.12.13	02.01.14	08 दिन	18680
35/2013–14 पी. सी.सी. मरम्मति व नाला निर्माण	सुनील कुमार यादव	32500	27.09.13	26.12.13	17.09.14	8 महिना 17 दिन	3250

ठेके के शर्त क्लाउज–2 के अनुसार योजना के पूर्ण होने के नियत तिथि से होने वाले प्रत्येक दिन के विलम्ब पर संवेदको से प्राक्कलित राशि के 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत से ज्यादा नही होगी।

लेखापरीक्षा आपत्ति

संवेदको द्वारा किया गया कार्य की विलम्ब शुल्क राशि रू 21930.00 वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि विलम्ब के कारणो की जॉच कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अतः विलम्ब से किया गया कार्य की विलम्ब शुल्क वसूल कर लेखापरीक्षा को अवगत करावें।

कंडिका सं0–10 मोबाईल टावरों के अधिष्ठापन हेतु पंजीयन शुल्क नवीकरण शुल्क की वसूली नही रू 32.48 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित नियमावली–2012 के अधिसूचना सं0– 3691 पटना दिनांक 08.10.12 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (समय– समय पर यथा संशोधित) की धारा–127 की उपधारा (1) (ड़) तथा 419 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपुर्यक्त नियमावली के कंडिका (6) (I)(II) के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित सभी टावरों पर पंजीयन शुल्क रू 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण फीस 8000 प्रतिवर्ष प्रति टावर किराया वसूल किया जाना था। लेकिन संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न टावर कम्पनियों के द्वारा कुल राशि रू 32.48 लाख पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक नवीकरण शुल्क जमा नही किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. विभिन्न टावर कम्पनियों के पास लंबित बकाया शुल्क की वसूली किस कारण नही किया गया था।
2. उपर्युक्त नियमावली के कंडिका 6(3) के अनुसार नवीकरण शुल्क में प्रत्येक 5 वर्षो के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी लेकिन 05 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी 25 प्रतिशत की वृद्धि नही किया गया था जिसके कारण कुल राशि रू 32.48 लाख की मॉग/वसूली नहीं किया गया था।

   जवाब में बताया गया कि वसुली के लिये सभी कंपनियों (I) को नोटिस निर्गत किया गया है। जमा नही लिये जाने की स्थिति में कानुनी कारवाई की जायेगी।

   अतः सभी कंपनियों से बकाया राशि रू 3248310.00 वसूल किया जाय।

कंडिका सं0–11 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं– 3284359.00

शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नगर निकाय द्वारा वर्ष 2013–14 से 15–16 के दौरान 1642180 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूली गयी। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किये गये राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना

था, परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी, राशि का विवरण निम्नलिखित है–

	शिक्षा उपकर की राशि	**स्वास्थ्य उपकर की राशि**
कुल राजस्व	821090	821090
घटाव वसूली प्रभार	82109	82109
सरकारी खाते में नहीं जमा राशि	738981	738981

नगर परिषद द्वारा 1477962 (738981+738981) को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य मदों पर किया गया। अतः उपरोक्त राशि 1477962 यथाशीघ्र संबंधित विभाग को भेजा नही किया गया था।

जवाब में बताया गया कि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति ठीक नही है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर राशि को जमा किया जायेगा।

अतः शिक्षा उपकर एवं स्वास्थय उपकर की राशि 1477962.00 संबंधित विभाग को भेजा जाय।

कंडिका सं0–12 कम जमा/नही जमा राशि रू 3.49 लाख

रोकड़पाल रोकड़ बही एवं बैक स्टेटमेंट के मिलान एवं नमुना जॉच में पाया गया कि राशि रू 349691 की वसूली श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह रोकड़पाल के द्वारा 04.04.13 से 16.10.15 की अवधि में किया गया (आंतरिक संसाधन के स्त्रोत से आय) है। (विस्तृत विवरण संलग्न VI पर)

संग्रहण की राशि नियमानुसार संग्रहण की तिथि को या उसके अगले दिन पूर्वाह्न तक नगर पंचायत निधि में जमा कर दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नही किया गया। संग्रहण की राशि में से राशि रू 349691.00 रोकड़पाल द्वारा अपने पास रखकर व्यय किया गया था।

जवाब में बताया गया कि अभिश्रव से मिलान किया जा रहा है मिलान के पश्चात् अंकक्षण दल को सूचित किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है। रू. 349691 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर के नगर पंचायत कोष में जमा कराया जाये।

भाग–III
(लेखापरीक्षा टिप्पणी)

टिप्पणी–1 पेयजलापूर्ति योजना राशि रू 323.03 लाख

पत्रांक–5 प0/यो0ज0–01–01/10–104/न0वि0 एवं आ0 वि0 बिहार पटना दिनांक 23.08.10 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 में खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी जमालपुर नगर पंचायत के पत्रांक 1440 दिनांक 22.12.09 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में गोगरी जमालपुर शहरी पेयजलापुर्ति की रू 342.03 लाख की योजना कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इनके कार्यान्वयन हेतु चालु वितीय वर्ष 2010–11 में गोगरी जमालपुर नगर पंचायत को 342.03 लाख रू सहायक अनुदान के रूप में राशि आवंटित किया गया था। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थय प्रमण्डल खगड़िया को कार्य एजेन्सी नियुक्ति करते हुए राशि रू 323.03 लाख का हस्तांतरण किया गया था। जिसका विवरणी निम्न प्रकार है:–

1.	चेक संख्या ए–486210/14.10.11	–10000000
2.		–10000000
3.		–10000000
4.		–2303407
		–32303407

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कि नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के पत्रांक–451 दिनांक– 19. 08.14 के अनुसार पेय जलापूर्ति योजना के ट्रायल के लिए पत्राचार किया गया था।

पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अगवत नही कराया गया था।

जवाब में बताया गया कि पी.एच.ई.डी. विभाग के द्वारा ट्रायल किया गया है। नगर पंचायत गोगरी के द्वारा पूर्ण रूप से भौतिक निरीक्षण किये जाने एवं कार्य के संतुष्ट होने के पश्चात योजना का हस्तान्तरण प्राप्त किया जायेगा।

अतः सुझाव दिया जाता है कि उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाये।

टिप्पणी–02 राशि का अवरोधन राशि (रू. 65.70 लाख)

नगर परिषद गोगरी जमालपुर के पी.एल. रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही के नमूना में पाया गया कि बहुत सारे योजना वर्षो से बंद होने के बावजूद रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा है जिसके कारण राशि अवरूद्ध पड़ी हुई है।

नियमानुसार योजना बंद हो जाने के के उपरान्त बंद पड़े योजना से संबंधित राशि को कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था ताकि सरकार उस राशि का उपयोग दूसरे योजना में कर सके, परन्तु कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बंद पड़े योजनाओं से संबंधित रोकड़ बही के नाम एवं राशि निम्नवत है।

	मद का नाम	13–14	15-16
1	रा0 गन्दी बस्ती	447657	447657
2	एन0आर0वाई0	45646	45646
3	2015–निर्वाचन	1402	1402
4	विधायक एवं टंकी निर्माण	5751000	5751000
5	घाट–पार्क निर्माण	312902	67891
6	नियोजन शिक्षक वेतन	471834	256902
		7030441	6570498

वर्षो से बंद पड़े योजनाओं से संबंधित रोकड़ बही में अवरूद्ध पड़ी राशि को कोषागार में जमा नही किया गया था।

जवाब में बताया गया कि सरकार के निर्देश प्राप्त कर राशि का उपयोग किया जायेगा। उपयोग न होने की स्थिति में राशि को वापस कर दिया जायेगा।

टिप्पणी– 3. विभिन्न पंजियों का संधारण नहीं

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति को BMAR 2014 के प्रपत्र संख्या 38 एवं 39 परिसम्पति पंजी का संधारण करना है।
3. मॉग एवं वसूली पंजी
4. अग्रिम पंजी (बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 (BMAR) संख्या 14 के प्रपत्र 56)
5. भण्डार पंजी (Movable and Immovable)
6. सरकारी अनुदान पंजी (Government Grant Register) (बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 69 के अनुसार सरकार अथवा अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी (प्रपत्र संख्या 28) में करना है।)
7. लेखापाल की रोकड़ बही (Accountant Cash Book)
8. संपत्तियों के किराये से आय से संबंधित पंजीः– नगरपालिका की अपनी सम्पत्तियों जैसे दुकानों, भूमि, इत्यादिके मासिक किरायों के सामयिक संग्रहण हेतु मॉग बही BMAR प्रपत्र सं. 23 में विवरण रखेगी एवं ससमय संग्रह पर नजर रखेगी।
9. सभी मदों में व्यय किया गया राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। (जो सरकार को भेजी गयी है)

उपरोक्त पंजी/बही का संधारण किया हुआ लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।
जवाब में बताया गया कि लेखापरीक्षा में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।
अतः सुझाव दिया जाता है कि सभी पंजी/बही का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

टिप्पणी–4 प्राप्ति रोकड़ बही/ लेखा बही का अनियमित संधारण

(i) बिहार नगरपालिका नियमावली 1928 के नियम 21,22,28 के अनुसार
(ii) नगर पंचायत निधि के अंतर्गत प्राप्त सभी प्राप्तियों को पहले कोषागार/बैंक खाते में जमा किया जाना है तथा निधि में जमा होने के पश्चात् ही चेक के माध्यम से व्यय किया जाना है।
बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69के अनुसार सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान बही में प्रपत्र संख्या–28 के प्रारूप में संधारित करना है। जिसमें अनुदान का नाम, स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम/आदेश, अनुदान की प्रकृति, अनुदान की अवधि, अनुदान के मद में व्यय, अवधि समाप्ति के अंत में अनुदान की अवशेष राशि तथा लौटायी गयी अव्यवहृत अनुदान राशि को दर्शाया जाना है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नगर परिषद गोगरी जमालपुर के प्राप्ति लेखाओं एवं व्यय का संधारण नही किया जा रहा है।
2. रोकड़ बही के अनुसार व्यय का विवरण (चेक संख्या, योजना संख्या, भुगतान कर्ता का नाम, अभिश्रव संख्या) नही लिखा गया है जिसके कारण व्यय की गयी राशि का बैंक पासबुक, योजना पंजी एवं अभिश्रव से मिलान नही किया जा सकता है।
3. रोकड़ बही के अनुसार एक योजना पर किया गया व्यय का भुगतान एक से अधिक मदों से किया गया है जिसके कारण प्रत्येक मद में क्रियान्वित योजना एवं योजना पर किया गया भुगतान का मिलान नही किया जा सकता है।
4. बैंक सुद की पंजी का संधारण नही किया जा रहा है। सभी मदों का बैंक खाता चालू खाता में रखा गया है जिसके कारण बैंक की राशि पर ब्याज का लाभ नही मिल रहा है।
5. पी.एल. रोकड़ बही एवं कोषागार पंजी से निकासी का मिलान प्राप्ति एवं निकासी वर्षवार संधारण नही किया जा रहा है।
6. सभी मदों का रोकड़ बही एवं बैंक समाशोधन विवरणी वर्षवार नही बनाया जा रहा है।

उपर्युक्त टिप्पणीयों का संधारण किया हुआ लेखापरीक्ष में उपलब्ध नही कराया गया।